प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 06/06/2021

संख्या 00262/2021-2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/MEE/02081/2021-2022 पत्रावली संख्या:M-54849 दिनांक:2010-2011

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **इन्छाराम शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति, बी॰ एस॰-25, फेज-1, पल्लवपुरम, मेरठ, मेरठ , 250001** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1259 दिनांक-15/01/2011 को दिनांक-15/01/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(DILEEP KUMAR GUPTA)
413BB3E4C4EA599134784B928CFEFC03BD7C25C5
Date: 06/06/2021 12:45:55 PM, Location: Meerut.

जारी करने का दिनांक-06/06/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 96AC 576621

यह जनरल स्टाम्प पेपर इन्द्रधारा शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति
फेज-1, पल्लवपुरम
जिला मेरठ पत्रावली सं० 54819(M)
भ० सूची 2015-16 संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अधीक्षक
कार्यालय डिप्टी रजि० फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

08-3-16

इन्छाराम शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति,
बी0 एच0–25, फेज–1, पल्लवपुरम, जनपद–मेरठ
प्रबंध कारणी समिति वर्ष 2015–2016

क0 सं0	नाम	पिता/ पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1	श्रीमती पुष्पा	श्री यशवीर सिंह	ग्राम–कुरकुरा, इंचौली, निकट–मसूरी, मेरठ	अध्यक्ष	गृहिणी
2	श्री कुं0 गज़ल राणा	श्री मेजर नारायण सिंह	बी0 एच0–25, फेज–1, पल्लवपुरम, जनपद–मेरठ।	उपाध्यक्ष	व्यवसाय
3	श्री मेजर नारायण सिंह	स्व0 श्री इन्छाराम	बी0 एच0–25, फेज–1, पल्लवपुरम, जनपद–मेरठ।	सचिव	व्यवसाय
4	श्रीमती ज्योती राणा	श्री मेजर नारायण सिंह	ग्राम–मंडौरा, पो0–सकोती, टाण्डा, मेरठ।	उपसचिव	समाज सेवा
5	श्री नवाब सिंह	स्व0 श्री इन्छाराम	ग्राम–मंडौरा, पो0–सकोती, टाण्डा, मेरठ।	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6	श्री राज सिंह	स्व0 श्री इन्छाराम	ग्राम– मंडौरा, पो0–सकोती–टाण्डा, मेरठ।	सदस्य	कृषि
7	श्री पीतम सिंह	श्री बारू सिंह	ग्राम– मंडौरा, पो0–सकोती–टाण्डा, मेरठ।	सदस्य	कृषि

दिनॉक :
हस्ताक्षर

GAZAL Nawab

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, मेरठ।

08-3-16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 99AA 999570

इच्छाराम शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति
बी - एच-25 फेज - 1 पल्लवपुरम
मेरठ 54849

स्मृति - पत्र

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
25/01/11 मेरठ

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

99AA 999569

इन्दाराम शिक्षा एव सामाजिक कल्याण समिति
बी - एच - 25 फेज - 1 पल्लवपुरम मे0
मे0 54 844(ल)

नियमावली

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अनुसेवक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

Scanned with OKEN Scanner

स्मृति–पत्र

1	संस्था का नाम	:	इन्छाराम शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति
2.	संस्था का पूरा पता	:	बी0 एच0–25, फेज–1, पल्लवपुरम, जनपद–मेरठ।
3	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
4.	संस्था के उददेश्य	:	सोसायटी रजिस्टेशन ऐक्ट 1860 धारा के अनुसार निम्नवत है।

उद्देश्य :–

1 समाज के पिछड़े और उपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षणिक, सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना।

2 असहाय बच्चों के शैक्षिणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।

3 नर्सरी कक्षा से उच्चतम शिक्षा तक की शिक्षा के लियें स्कूल एवं कालेज खोलना व छात्रो की हर प्रकार से सहायता करना।

4 बौद्धिक विकास के लिये पुस्तकालय, वाचनालय एवं मनोरंजन केन्द्र की स्थापना करना।

5 कुष्ठ तथा अपाहिज, विकलांग एवं संक्रामक रोगो से ग्रस्त निराश्रित निःसहाय लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था करना।

6 निराश्रित महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय स्थल, नारी सुलभ उद्योगों का प्रशिक्षण एवं बाल विकास केन्द्रों की स्थापना करना।

7 जाति धर्म, और भाषा के आधार उत्पन्न हुए द्वेष वैमनस्य की भावना को दूर करना राष्ट्रीय एकता की भावना पैदा करना।

8 प्रमोदय, सर्वोदय एवं धार्मिक, गणित व अन्य शिक्षण सम्बन्धी पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन करना एवं विचार करना।

9 देश एवं प्रदेश की सम उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर उद्देश्यों की पूर्ति करना।

10 सामूहिक कार्यों द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना, श्रमदान, ग्रामों की सफाई जैसे कार्य सामूहिक रूप से कराना तथा समाज कल्याण आदि गॉधीवाद दृष्टिकोण का प्रचार व प्रसार कर उसमें अहिंसा, रचनात्मक कार्य तथा ग्राम निर्माण की प्रवृत्ति नुक्कड नाटक एवं देहाती फिल्मे आदि बनाकर पैदा करना।

11 देश की बढ़ती हुई भिक्षावृति को रोकना और देश में बढती हुई बेरोजगारी को दूर करने हेतु युवकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर आकर्शित करना।

12 कम्पयूटर एजुकेशन से सम्बन्धित बेसिक शिक्षा आई0 टी0 प्रोग्राम से लेकर उच्चतम शिक्षा तक के शिक्षण संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना तथा छात्रो की हर सम्भव सहायता करना।

GAZAL फूलवती

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

13 परिवार नियोजन, एड्स, योग, नशा मुक्ति आदि के स्वास्थ शिविर लगाना, अस्पताल खोलना तथा स्वास्थ सम्बन्धी सभी कार्य करना।

14 जल एवं पर्यावरण एवं प्राकृतिक आपदाओ के सम्बन्ध मे जागरूकता पैदा करना प्रचार करना, रिसर्च करना तथा सुधार सम्बन्धी सभी कार्य करना।

15 गरीब व बेरोजगारी उन्मूलन के लिये हर सम्भव कार्य करना।

16. निर्धन एवं अनाथ बालक/बालिकाओं तथा बेसहारा महिलाओं के लिये सिलाई कढाई, बुनाई एवं कम्प्यूटर सैन्टर जैसे सुलभ केन्द्रो की स्थापना कर उनके संचालन में सहयोग देना।

हस्ताक्षरः—

GAZAL

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ
25-01-11

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उ0प्र0 ★ मेरठ क्षेत्र ★ सत्यमेव जयते

नियमावली

1	संस्था का नाम	:	इन्छाराम शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण समिति
2.	संस्था का पूरा पता	:	बी0 एच0–25, फेज–1, पल्लवपुरम, जनपद–मेरठ।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उत्तर प्रदेश।
4.	संस्था का वित्तीय वर्ष	:	संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रेल से 31 मार्च तक का होगा।
5.	संस्था के उददेश्य	:	संस्था के स्मृति–पत्र मे अंकितानुसार ही होंगे।

क– सदस्यता:– जो सज्जन 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, संस्था के उद्देश्यों के प्रति पुर्ण निष्ठा रखता हो, संस्था का सदस्य बन सकता है।

ख– सदस्यों के वर्ग:–

अ– **आजीवन सदस्य** :– जो सज्जन कमांक 5 ...क के अनुसार योग्यता रखते हुए संस्था को एक मुश्त 5100 /– रू0 नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, आजीवन सदस्य कहलायेगा।

ब– **सामान्य सदस्य** :–जो सज्जन कमांक 5 ...क के अनुसार योग्यता रखते हुये संस्था को एक मुश्त 151/– रू नकद या इससे अधिक सम्पत्ति दान स्वरूप देगा, सामान्य सदस्य कहलायेगा।

विशेष:– प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों, पद एवं सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार घटायी या बढायी जा सकती है।

6–. सदस्यता की समाप्ति:–

1– सदस्य की मृत्यु होने पर ।
2– सदस्य द्वारा त्याग–पत्र दिये जाने पर ।
3– संस्था की सदस्यता शुल्क अदा न करने पर ।
4– सदस्य को दिवालिया अथवा पागल घोषित होने पर ।
5– संस्था के विरूद्ध कायों में संलिप्त पाये जाने पर ।
6– संस्था की तीन मीटिंग में बिना किसी कारण लगातार अनुपस्थित रहने पर ।

7– संस्था के अंग :– क– साधारण सभा
ख– प्रबन्धकारिणी समिति ।

8– साधारण सभा:–

क–गठन :– संस्था के सभी प्रकार के सदस्यों का मिलाकर बनाया गया समूह ही साधारण सभा कहलायेगी ।

ख–बैठकें:– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार एवं विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

GAZAL

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार

ग–सूचना:– समान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी सूचना डाक या स्पेशल मैंसेजर द्वारा दी जायगी ।

घ–कोरम:– साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल संख्या का दो तिहाई होगा, कोरम के अभाव में स्थागित की गयी बैठक के लिए कोरम को पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ–विशेष वार्षिक अधिवेशन:– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार हुआ करेगा जिसकी तिथि प्रबन्धसमिति द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना ।
2– संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट आदि को पास करना।
3– संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन 2/3 बहुमत से करना।
4– संस्था की नीति निर्धारित करना।
5– संस्था के भ्रष्ट सदस्यों को निकालना।

9– प्रबन्धकारिणी समिति :–

क–गठन:– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा अपने सदस्यों में से बहुमत द्वारा होगा। जो आवश्यकता पड़ने पर घट बढ़ सकेगी।

ख–बेठकें:– सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम दो बार एवं विशेष बैठक कभी भी अध्यक्ष के निर्देशन पर बुलाई जा सकती है।

ग–सूचना:– समान्य बैठक की सूचना 07 दिन पूर्व एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी, सूचना डाक या स्पेशल मैसेंजर द्वारा दी जायेगी।

घ–कोरम:– प्रबन्धकरिणी समिति का बैठक का कोरम तीन चौथाई होगा, कोरम के अभाव में स्थगित की गयी बैठक की पाबन्दी न होगी, यदि उन्ही विषयों पर विचार होता हो।

ङ–रिक्त पद की पूर्ति :–

प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद होने पर उसकी पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति स्वयं साधारण सभा सदस्यों में से बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल की अवधि के लिए कर लेगी।

च–कार्यकाल :– प्रबन्धसमिति का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन करना।
2– संस्था का प्रबन्ध संचालन हेतु कर्मचारियों, अधिकारियों की नियुक्ति करना।
3– संस्था की वार्षिक रिपोर्ट,बजट आदि को तैयार कराना।
4– प्रबन्धकारिणी समिति में आकस्मिक रिक्त पद की पूर्ति करना।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

10– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अध्यक्ष :–

1– संस्था की सभी प्रकार की बैठकों, सभाओं की अध्यक्षता करना।
2– सभाओं, कार्यक्रमों आदि के लिए दिनांक, समय का निर्धारण कर सूचना जारी करना।
3– समान मत होने पर अपना निर्णायक मत देना।
4– संस्था के हित में कार्य करना।

उपाध्यक्ष :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपाध्यक्ष को निहित होंगे।

सचिव :

1–संस्था के अभिलेखों का रख रखाव करना व मीटिंग की कार्यवाही को रजिस्टर में दर्ज कराना, अभिलेख पूर्ण कराना।
2–संस्था के अन्तर्गत संचालित स्कूल यूनिट आदि के संचालन हेतु समस्त प्रकार की संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
3–संस्था के समस्त बाउचरों, अभिलेखों पर हस्ताक्षर करना एवं उनको आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणित भी करना।
4–संस्था के सदस्य/ कर्मचारी के त्याग–पत्र को अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद संस्तुति करना।
5– संस्था के द्वारा संचालित यूनिट, संस्थान, स्कूल आदि के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतनवृद्धि, पदोन्नति, डिमोशन आदि सम्बन्धी कार्यवाही करना।
6–संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, चन्दा, ऋण, अनुदान, भूमि, भवन, चल अचल सम्पत्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करना।

उपसचिव :– सचिव की अनुपस्थिति में उनके अधिकार एवं कर्तव्य उपसचिव को निहित होंगे।

कोषाध्यक्ष :–

1–संस्था के कैश से सम्बन्धित सभी अभिलेख तैयार करना, उनमें धनराशि का इन्द्राज करना।
2–संस्था के आय व्यय की रिपोर्ट, बजट तैयार कराकर बैठक में प्रस्तावित करना।
3–अध्यक्ष तथा सचिव के द्वारा सौंपे गये कार्य करना।

11– नियमों–विनियमों में संशोधन प्रकिया :–

सत्य प्रतिलिपि

1. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रकिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन होने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

25-01-11

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, मेरठ

में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा।

2. संस्था द्वारा अन्य किसी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल चलाने पर अनुबन्धक लागू होगें लेकिन ये केवल उन्ही स्कूलों पर लागू होगें जिसमें इनकी आवश्यक्ता होगी। जो निम्न प्रकार होगें :–

1. विधालय का पंजीकरण सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण किया जायेगा।
2. विधालय मे प्रबन्धसमिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा एक सदस्य होगा।
3. विधालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिये सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विधालयो मे विभन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही कि जाएंगी यदि पूर्व मे विधालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधालय का सम्बद्वता सैन्ट्ल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दी इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परिक्षा परिषदो से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शिक्षंण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विधालय के शिक्षण/शिक्षांणत्तर कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा भत्ते प्राप्त वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनाई जाएगी और सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विधालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश जो र्निगत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विधालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओ मे रखा जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश शिक्षा संहित धारा 105 से 107 के अर्न्तगत विभिन्न वर्गो के छात्रो को अनुमन्य शुल्क मुक्ति प्रदान की जायेगी।
10. उक्त शर्तो को बिना राज्य सरकार की पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/ संशोधन/परिवर्तन नंही किया जायेगा।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उ0प्र0, मेरठ

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अनुभाग
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

25-01-11

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रक्रिया प्रबन्धसमिति के अनुमोदन हाने के दस दिन बाद साधारण सभा की बैठक में दो तिहाई बहुमत पूर्ण होने पर संशोधन/परिवर्तन मान्य होगा।

12– संस्था का कोष :–

संस्था का धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक अथवा डाकघर में संस्था के नाम के खाते में जमा किया जा सकेगा जो अध्यक्ष व सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से खोला जायेगा एवं किन्ही दो के हस्ताक्षर से संचालित हो सकेगा।

13– आय व्यय लेखा परीक्षण :–

संस्था के आय व्यय का वार्षिक आडिट प्रबन्धसमिति द्वारा नियुक्त आडिटर अथवा सी0 ए0 द्वारा कराया जायेगा, जो कि पहली अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।

14– कानूनी कार्यवाही :–

संस्था की समस्त कानूनी कार्यवाही सचिव द्वारा की जायेगी, जो कि संस्था के पंजीकृत कार्यालय के क्षेत्रान्तर्गत की जायेंगी ।

15– अभिलेख :– सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा, लेजर, कैश बुक रसीद बुक आदि जो भी आवश्यक हो, रखे जायेंगे।

17– विघटन :– संस्था की विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक–
सत्यप्रतिलिपि ।
<u>हस्ताक्षर</u>

फलवती GAZAL Rama Navneet राजसिंह

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/अन्वेषक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

25-01-11

पीतम सिंह

AN SERVICES

ecurities Depository Limited)

s, Near Baner Telephone Exchange,

une - 411 045.

The Income Tax Department takes pleasure in informing that the PAN allotted to you is :

AAAAI4519D

and the PAN card is enclosed herewith. Further, for filling the return of income, please contact :

WARD 1(3) MEERUT

Scanned with OKEN Scanner